तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज
16/2/17	वकील फरीकेन उप०/400 साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक....23/3/17....को पेश हो।
23/3/17	वकील अपीलांट उप० / तहसीलदार लपोरया के दरांक CR/2017/200 दि० 3.2.17 के अन्तर्गत अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब हुआ पत्रावली वास्ते बहस दि० 23/3/17 को पेश हो।
23/3/17	वकील अपीलांट उप० बहस सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 30/3/17 को पेश हो।
30/3/17	वकील अपीलांट उप०। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया गया। तहसीलदार लपोरया को निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित पालनार्थ अमल नामान्तरकरण भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
02/13	अपील नामा0	20.02.13	30.03.17

श्रीमती सत्यवती पत्नि स्व0 जयसिह जाति राजपूत निवासी बैरूण्डा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)।

-अपीलॉट

बनाम

सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जाखोदा तहसील सपोटरा

-रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामा0 सं0 565 निर्णय दिनांक 20.9.09 मौजा बैरूण्डा

उपस्थितः- श्री राजेन्द्र सोनी वकील अपीलांट।

संक्षेप में अपील अपीलॉण्ट ने पेश कर निवेदन किया है कि "उसने दिनांक 12.06.2009 को जरिये विक्रयपत्र आराजी खसरा नं0 473 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बैरूण्डा पटवार हल्का जाखोदा तहसील सपौटरा मे से विकेता पूरणसिह पुत्र रतनसिह का हिस्सा 1/4 एवं विकेता पूरणसिह, लाखनसिह, भंवरसिह पि0 रतनसिह का संयुक्त हिस्सा 1/4 यानि कुल आराजी का हिस्सा 1/2 कय किया था जिसका अपीलाण्ट ने उसी दिन विकेतागण से कब्जा व स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 7.9.2009 को नामान्तरकरण अपूर्ण भरा गया एवं वयनामा जमाबंदी से तुलना भी अपूर्ण की गई तथा भू अभिलेख निरीक्षक की जांच भी अपूर्ण रही जिस पर अधीनस्थ अदालत ने बिना जांच व गौर फरमाते हुए निर्णय पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ अदालत का निर्णय अपीलॉण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है इसलिए निर्णय दिनांक 20.9.2009 खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 565 दिनांक 20.9.2009 को खारिज कर पुनः वयनामानुसार नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये जावे।"

अपील अपीलॉन्ट दर्ज कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील उपस्थित नही आया इसलिए इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार सपोटरा से तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलॉण्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील तथ्यों को दोहरातें हुए अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 565 दिनांक 20.9.2009 को खारिज कर तहसीलदार सपोटरा को पुनः वयनामे मे दर्ज अपीलॉण्ट के हिस्से 1/2 अनुसार नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है। वरवक्त बहस वकील अपीलान्ट से वयनामा की असल प्रति तलब की गई जिससे मिलान किया गया, जो सही पाया गया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली, प्रस्तुत वयनामा एवं तहसीलदार सपोटरा से तलब किया गया असल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.06.2009 के आधार पर खोला गया है। रजिस्टर्ड वयनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलॉण्ट ने ग्राम बैरूण्डा तहसील सपोटरा के खसरा नं0 473 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का विकेता पूरणसिह पुत्र रतनसिह का हिस्सा 1/4 एवं भंवरसिह,

जिला कलक्टर जिला-करौली

Scanned by CamScanner

लाखनसिह, पूरणसिह पुत्रान रतनसिह का हिस्सा 1/4 अर्थात कुल आयजी का हिस्सा 1/2 उक्त विक्रेतागणों से क्रय किया है, उसी अनुसार हिस्सा 1/2 का नामान्तरकरण अपीलॉण्ट के नाम रेस्पोडेन्ट को खोला जाना चाहिए था जबकि रेस्पोडेन्ट ने केवल पूरणसिह पुत्र रतनसिह का हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक किया है तथा भंवरसिह, लाखनसिह, पूरणसिह पुत्रान रतनसिह के हिस्से 1/4 का दर्ज नही किया है। इस प्रकार अपूर्ण नामान्तरकरण दर्ज कर आंशिक रूप से तस्दीक किया गया है जिसमे कानूनी भूल की है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 20.09.2009 अपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 565 ग्राम बैरूण्डा पर निर्णय दिनांक 20.09.2009 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि अपीलॉण्ट के रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.06.2009 के आधार पर नियमानुसार पूर्ण नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक किया जावे। आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित मूल नामान्तरकरण तहसीलदार सपोटरा को पालनार्थ भिजवाया जावे।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner